

शिक्षा विभाग  
बिहार सरकार  
::अधिसूचना::

पटना, दिनांक.....

संचिका संख्या 07/मु0-02-37/2025.....तत्कालीन प्रवृत्त बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली 2012 एवं बिहार नगर निकाय प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली 2012 सम्प्रति बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली 2023 के प्रभावी तिथि के पूर्व का है, में यह प्रावधानित है कि मध्य विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक की नियुक्ति की जाएगी। उक्त नियमावली में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के संबंध में नियुक्ति हेतु नियुक्ति प्राधिकार, अनुशासनिक प्राधिकार, नियुक्ति हेतु अर्हता, सेवा संबंधी शर्त, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं अवकाश के प्रावधान किए गए हैं। विभागीय आदेश ज्ञापांक-3907 दिनांक-31.10.2025 में प्रावधानित है कि अनुदेशक के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया संबंधित दिशा-निदेश प्रशासी विभाग द्वारा अलग से निर्गत किया जाएगा।

2. इस नियमावली में निहित प्रावधान के अनुरूप बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की विज्ञप्ति संख्या-PR 373/2019 के तहत शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक योग्यता परीक्षा-2019 में शामिल हुए थे। उक्त परीक्षा के परीक्षा परिणाम का प्रकाशन दिनांक 12.02.2020 को की गई, जिसमें 3523 अभ्यर्थी सफल घोषित किये गये। इस परीक्षा परिणाम के आधार पर स्थानीय निकाय के विभिन्न नियोजन इकाईयों द्वारा जुलाई 2022 तक कुल 2350 शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक की नियुक्ति की जा चुकी है।

3. शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक योग्यता परीक्षा-2019 की परीक्षा उत्तीर्णता के लिए पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को 05 प्रतिशत की छूट का लाभ दिये जाने के वर्ष 2023 में लिये गये विभागीय निर्णय के आलोक में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित न्यूनतम उत्तीर्णता 50 प्रतिशत में 05 प्रतिशत की छूट देते हुए संशोधित रिजल्ट प्रकाशित किया गया। ऐसे अभ्यर्थियों की कुल संख्या 239 है। इस संशोधित रिजल्ट में सफल घोषित किये गये एवं योग्य होते हुए भी नियोजन प्रक्रिया स्थगित होने के कारण उनकी नियुक्ति नहीं हो सकी। उनका यह भी कहना है कि शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के कुल स्वीकृत पद 8386 के विरुद्ध मात्र 2350 अभ्यर्थियों की ही नियुक्ति हो सकी है। ऐसी स्थिति में उन्हें नियोजन की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाय।

ज्ञातव्य हो कि जुलाई 2022 तक शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों की नियुक्ति की परीक्षा परिणाम विभागीय प्रक्रिया समाप्त हो चुकी थी, लेकिन याचिकाकर्तागण

सहित 239 अभ्यर्थियों के शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक योग्यता परीक्षा-2019 का पत्रांक-7/नियो०-09/2022-90 दिनांक 25.01.2023 द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा मार्च 2023 में प्रकाशित किया गया। इस कारण से 239 अभ्यर्थी नियोजन की प्रक्रिया में शामिल होने से वंचित हो गये।

4. बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 एवं तदालोक में अधिसूचित उक्त नियमावली के अन्तर्गत मध्य विद्यालयों में, जहाँ, 100 से अधिक छात्र नामांकित हैं, में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के पद पर नियुक्ति की कार्रवाई की जानी है। इस क्रम में अंकनीय है कि सभी 8386 पंचायतों को एक-एक उच्च माध्यमिक विद्यालय से आच्छादित किया गया है। इस हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या- /93 दिनांक-14.05.2020 की कंडिका-9 में यह अंकित है कि "मध्य विद्यालय में शारीरिक शिक्षक अथवा शारीरिक अनुदेशक का पद है और यह मध्य विद्यालय ही उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित हुए हैं। इसलिए तत्काल माध्यमिक प्रक्षेत्र में शारीरिक शिक्षक के पद का सृजन का प्रस्ताव नहीं है।" अतः ऐसे मध्य विद्यालय, जो उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित हुए हैं, में मध्य विद्यालय हेतु अंशकालिक पद पर नियुक्त होनेवाले शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के दायित्व अन्तर्गत विद्यालय में अध्ययनरत् सभी छात्र-छात्राएँ आच्छादित होंगे।

5. शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक का पद अंशकालिक है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक / प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय के समय-सारणी तैयार करने के क्रम में, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के लिए घंटी का निर्धारण इस प्रकार से करना होगा कि इन्हें विद्यालय के पूरे अवधि तक विद्यालय में रहने की बाध्यता नहीं हो।

6. उक्त पृष्ठभूमि में उक्त नियमावलियों में निहित प्रावधान के आलोक में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित न्यूनतम उत्तीर्णांक 50 प्रतिशत में 05 प्रतिशत की छूट देते हुए संशोधित रिजल्ट में सफल 239 पुरुष अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक (अंशकालिक) के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया संबंधित दिशा-निदेश निम्नवत् निर्धारित किए जाते हैं :-

(ii) पंचायतीराज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अन्तर्गत प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षक की नियुक्ति में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित आदर्श रोस्टर बिन्दु (आरक्षण संबंधी प्रावधान) प्रभावी होगा। चूँकि विभिन्न नियोजन इकाईयों द्वारा जुलाई 2022 तक कुल 2350 शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक (अंशकालिक) की नियोजन की गयी। माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन के क्रम में पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 239 सफल पुरुष अभ्यर्थियों का नियोजन व्यवृत् अंतिम आरक्षण बिन्दु से प्रारंभ होगा।

(ii) नियुक्ति हेतु समय-सारणी / कैलेंडर प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा। निदेशालय द्वारा निर्धारित समय-सारणी के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा नियोजन इकाई को पद उपावंटित करते हुए जिला पदाधिकारी से रोस्टर क्लीयर कराकर नियोजन इकाई को कोटिवार रिक्ति का संसूचन किया जाएगा।


(iii) योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थीगण के द्वारा विहित प्रपत्र (यथा निदेशित) में आवेदन पत्र नियोजन समिति के सदस्य सचिव के स्तर पर हाथों-हाथ, स्पीड पोस्ट अथवा निबंधित डाक से प्राप्त किया जाएगा।

(iv) यह नियुक्ति मेधा सूची के आधार पर की जाएगी। संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य सचिव के द्वारा मेधा सूची का प्रारूप तैयार किया जाएगा। अभ्यर्थीगण द्वारा योग्यता परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंक को अवरोही क्रम में रखते हुए मेधा सूची का प्रारूप तैयार किया जाएगा। योग्यता परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंक समान रहने की स्थिति में जिनकी जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें मेधा सूची में ऊपर रखा जाएगा। समान प्रतिशत अंक एवं समान जन्मतिथि रहने पर अंग्रेजी के शब्दकोष के अनुसार जिस अभ्यर्थी का नाम पहले होगा, उसका मेधा सूची में ऊपर स्थान निर्धारित किया जाएगा। नियुक्ति प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त कर इसे औपबंधिक रूप से कम-से-कम 15 दिनों तक जिला के NIC के वेबपोर्टल पर प्रकाशित करते हुए आपत्ति (यदि हो) प्राप्त किया जाएगा। आपत्ति का निराकरण करते हुए नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा मेधा सूची को अंतिम रूप देते हुए प्रकाशित किया जाएगा।

(v) जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी के परामर्श से जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्धारित कैम्प में मेधा सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को आमंत्रित करते हुए उनके प्रमाणपत्र की प्रारंभिक जाँच की जाएगी। कैम्प में अनुपस्थित रहनेवाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थित्व समाप्त मानते हुए उपस्थित अभ्यर्थीगण अन्तर्गत अंतिम मेधा सूची एवं रोस्टर बिन्दु को ध्यान में रखकर चयन सूची प्रकाशित की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों की जाँच कराकर उन्हें नियुक्ति पत्र संबंधित नियुक्ति प्राधिकार द्वारा निर्गत किया जाएगा।

उक्त निर्णय पर माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से



(अजय सतीश भेंगरा)

उप सचिव, शिक्षा विभाग।

पटना, दिनांक 27/02/2026

ज्ञापांक 07 / मु0-02-37 / 2025..... 954

प्रतिलिपि:—सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी महापौर, नगर निगम /सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी मुख्य

कार्यपालक पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/सभी अध्यक्ष नगर परिषद्/नगर पंचायत/सभी कार्यक्रम पदाधिकारी (शिक्षा) / सभी प्रमुख, पंचायत समिति / सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी / सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

*[Handwritten Signature]*  
27.2.26

उप सचिव, शिक्षा विभाग।

पटना, दिनांक 27/02/2026

ज्ञापांक 07/मु0-02-37/2025.....954

प्रतिलिपि:- राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/सभी सदस्य जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार/आप्त सचिव, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

*[Handwritten Signature]*  
27.2.26

उप सचिव, शिक्षा विभाग।

पटना, दिनांक 27/02/2026

ज्ञापांक 07/मु0-02-37/2025.....954

प्रतिलिपि:-आई0 टी0 मैनेजर , शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

*[Handwritten Signature]*  
27.2.26

उप सचिव, शिक्षा विभाग।